राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनु.–2) विभाग

क्रमांकः–प.9(2)प्र.सु./अनु–2/2014 जयपुर, दिनांकः– 15-4-15

परिपत्र

विषयः– सत्रकाल के दौरान राजस्थान विधानसभा के समिति कक्षों में विभिन्न विभागों की बैठके आयोजित किये जाने के संबंध में।

राजस्थान विधानसभा सचिवालय ने अवगत कराया है कि विधानसभा भवन में स्थित समिति कक्षों में सक्षम स्तर की पूर्व अनुमति के बिना राज्य सरकार के विभागों द्वारा बैठकें आयोजित की जाती है । आयोजित बैठकों की सूचना भी विधान सभा सचिवालय को नहीं दी जाती है , जिससे सचिवालय को काफी असुविधाओं का सामना करना पडता है ।

राजस्थान विधानसभा सचिवालय द्वारा सत्र काल में राज्य सरकार के विभागों द्वारा विधानसभा भवन स्थित समिति कक्षों में बैठकें आयोजित करने को एक गलत प्रकिया स्थापित करना माना हैं एवं हिदायत दी है कि राजस्थान सरकार के विभाग भविष्य में बैठकों के आयोजन से पूर्व सचिव,राजस्थान विधानसभा से अनुमति प्राप्त करें।

अतः निर्देशानुसार समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में राजस्थान विधान सभा भवन में स्थित समिति कक्षों में बैठकें आयोजित करने से पूर्व सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करावें।

(राकेश वर्मा)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नाकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक एफ1(3)(5) साशा/विस/2015/15362 दिनांक–1.4.2015 के कम में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव महोदय, जयपुर।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विभागाध्यक्षों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
5. रक्षित पत्रावली।

(नरेन्द्र कुमार नैनावत)
शासन उप सचिव